(51)

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

WRIT PETITION (S) No. 7123 of 2007

PETITIONER : K.L.Sharma, aged about 52 years, S/o Late K.P.Sharma, Occupation- Service – Sub Engineer (Under Suspension) Office of the Executive Engineer, Water Resources Department, Hasdeo Barrage Water Management Division, Rampur, Korba (C.G.) (at present attached to the office of Chief engineer, Water Resources Department, Hasdeo Kacchar, Bilaspur), R/o Qtr. No. 1-9, Irrigation Colony, Rampur, Distt. Korba (CG)

VERSUS

RESPONDENTS : 1. The State of Chhattisgarh, through the Secretary, Department of Water Resources, Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur (C.G.)
2. Engineer-in-Chief, Department of Water Resources, Raipur (C.G.)
3. Chief Engineer, Water Resources Department, Hasdeo Basin, Bilaspur, Distt. Bilaspur (C.G.)
4. Executive Engineer, Water Resources Department, Hasdeo Barrage, Water Management Division, Rampur, Distt. Korba (CG)

PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

SB: Hon'ble Shri Satish K. Agnihotri, J.

Present: Shri P.S.Koshy, Advocate for the petitioner.
Shri Ajay Dwivedi, Panel Lawyer for the State/respondents

ORAL ORDER

(Passed on 30th day of November, 2007)

Heard on admission.

1. The petitioner, who is a Sub-Engineer (under suspension), has challenged the charge sheet dated 12.11.2007, issued to him by the competent authority making following allegations:

आरोप कमांक–1

1.0 आपने जुलाई 06 से मई 07 के मध्य ऐसे संधारण एवं रखरखाव के कार्य, जो कार्य विभाग नियमावली भाग एक के नियम 2.075 (बी) के तहत निविदा आमंत्रित कर ठेकों पर कराए जाना आवश्यक थे, को रू. 5000/– के अंतर्गत टुकड़ों में विभक्त कर अनियमित तरीके से निश्चित की गई दरों पर अनुविभागीय अधिकारी से मिलकर स्थानीय फर्मों को 743 आदेश जारी कर कराए। इन आदेशों के तहत कुल रू. 47.45 लाख के कार्य बता कर व्यय किया। इस प्रकार अनिविभागीय अधिकारी के साथ मिलकर अनियमित पद्वति से कार्य कराने के लिए आप जिम्मेदार है। निविदा आमंत्रित

52

कर प्रतिस्पर्धात्मक न्यूनतम दरों की निविदा के माध्यम से कार्य कराने पर प्रचलित निविदा दरों के अनुसार कम दरों पर कार्य कराकर लाखों रूपयों की बचत की जा सकती थी। इस प्रकार आपने अनियमित पद्वति से कार्य कराने में सहयोग कर शासन को वित्तीय हानि पहुंचाई है, जिसका उल्लेख अभिकथन पत्र में किया गया है।

1.1 बैराज के डूबान क्षेत्र में से फलाई एश हटाने के लिए रू. 28.30 लाख की तकनीकि स्वीकृति लेखा शीर्ष 23/2700 आयोजनेत्तर के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता द्वारा जारी की गई। इसके अतिरिक्त पूर्व में स्वीकृत तकनीकि स्वीकृति की राशि का पूर्ण उपयोग किए बिना इसी कार्य हेतु 29.50 लाख रूपये की तकनीकि स्वीकृति लेखा शीर्ष 23/4700 आयोजना के अंतर्गत पुनः प्रदान की गई थी। इसके विरूद्व आपने रू. 7.99 लाख का भुगतान लेखा शीर्ष 23/4700 आयोजना के अंतर्गत किया गया। जबकि ऐसे कार्य पर संबंधित संस्थाओं जिनके कारण फलाई एश का जमाव डूबान क्षेत्र में हुआ, उनसे राशि प्राप्त कर डिपाजिट मद में उच्चाधिकारियों की अनुमति/स्वीकृति प्राप्त कर व्यय किया जाना था और इस प्रकार प्राप्त की गई फलाई एश का सकारात्मक उपयोग करना था, किंतु आपने ऐसा नही करके इस कार्य में अनावश्यक व्यय कर शासन को रू. 7.99 लाख की हानि पहुंचाई।

1.2 उलट नहर में सी सी लाईनिंग कार्य का ठेका निविदा के माध्यम से दिनांक 02.01.2007 को कार्यादेश जारी कर कराया जा रहा था जिसमें नहर के सर्विस रोड में मुरूम बिछाने का कार्य भी सम्मिलित था। किंतु सर्विस रोड में गिट्टी एवं अन्य सामग्री सहित मरम्मत का कार्य, अन्य स्थानीय फर्मों को सप्लाई आदेश के स्वरूप में कार्य कराकर रू. 7.51 लाख व्यय किया। इस प्रकार आपने रिटर्न केनाल के कार्य हेतु अनुबंधित ठेकेदार को अनाधिकृत लाभ पहुंचाया एवं शासन को रू. 7.51 लाख की हानि पहुंचाई।

1.3 वरिष्ठ उप अभियंत के रूप में कार्य करते हुए आपका यह कर्तव्य बनता था कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से कंडिका 1.1 एवं 1.2 में उल्लेखित कार्यों को नियमानुसार नही होने बाबत संसूचित करते, एवं फिर भी निर्देश दिये जाने पर उनसे वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में लाये जाने की आपकी जिम्मेदारी बनती थी। परंतु आपने ऐसा नही करते हुए अनियमित एवं अनाधिकृत प्राक्कन तैयार करने तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करने में सकिय भूमिका निभाई और स्वीकृति प्राप्त करने में सहयोग प्रदान कर अनियमितताएं किया है।

1.4 आपके द्वारा विभिन्न फर्मों को 2322 सप्लाई आदेश के द्वारा किये गये कार्यों के बिलों के माप दर्ज कर भुगतान किया गया, जबकि उक्त बिलों के प्रदाय आदेशों में 152 आदेश छोड़कर शेष प्रदाय आदेश के कमांक एवं दिनांक उप संभागीय जावक पंजी में दर्ज नही है। इस प्रकार आपने मनगढंत प्रदाय आदेश के कमांक दर्ज कर और उसको आधार बनाकर बिलों के माप दर्ज कर भुगतान किये। इस तरह अनाधिकृत रूप से जारी प्रदाय आदेशों के विरूद्व प्राप्त बिलों के भुगतान करने में आपकी अहम भूमिका रही।

इस प्रकार आपने कार्य विभाग नियमावली भाग–एक के नियम 2.075 (बी), छ0ग0 वित्तीय संहिता भाग एक के नियम–9 का उल्लंघन कर, छग सिविल सर्विसेस आचरण नियम 1965 के नियम–3 के अनुसार गंभीर कदाचरण किया है तथा छग

सिविल सर्विसेस वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम–10 (तीन) एवं (सात) से (नौ) के अंतर्गत अपने आपको दंड का भागी बना लिया है।

आरोप कमांक–2

आपने अपने अनुविभागीय अधिकारी से मिलकर हस्तपावती एवं इंप्रेस्ट के माध्यम से अनियंत्रित एवं अनियमित तरीके से सामग्री का कय एवं संधारण के कार्यो में व्यय कर रू. 2.80 लाख का भुगतान किया। इन भुगतानों में रू. 500 से लेकर 2500 रू. तक नगद के भुगतान किये गये है, जबकि कार्यविभाग नियमावली भाग एक के नियम 4.067 के अनुसार नगद भुगतान हेतु निर्धारित सीमा केवल रू. 100 मात्र ही है। यह सीमा वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 (कार्य विभागों की सूची) के स0क0 87 के अनुसार रू. 500 तक कार्यपालन अभियंता की तथा रू. 2500 तक अधीक्षण अभियंता की अनुमति से ही की जा सकती थी। आपने इस तरह नियमों में दी गई सीमा से अधिक का नगद भुगतान किया। हस्तपावती एवं इम्प्रेस्ट के माध्यम से ऐसे सामान एवं कार्यों का भुगतान भी किया जाना पाया गया जो ठेकों पर अनुबंध कराकर किये जाने थे। ठेका पद्धति से कार्य कराने पर ठेकेदारों से करों की श्रोत पर वसूली की जाती एवं लगभग 0.06 लाख की राजस्व प्राप्ति होती। इस प्रकार आपने नियमों के विरूद्ध कार्य करके शासन को राजस्व की हानि कराने में सहयोग किया, जिसका वर्णन अभिकथन पत्र में दिया गया है।

2. Learned counsel for the petitioner argues that factually, the charges are not correct. He also argues that there are no specific charges against the petitioner and as it is stated in the charges that the petitioner also indulged with the other authorities of the department for the alleged misconduct committed by them. He also argues that the charges were not issued to the petitioner within the stipulated period granted under rule 9 of M.P. (C.G.) Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1996. For such challenge made by the petitioner, reliance has been placed on a decision of the Supreme Court in the matter of ***Union of India and others Vs. Upendra Singh (1994) 3 SCC 357.***

3. I have heard learned counsel for the petitioner at length and have also gone through the documents filed alongwith Writ Petition.

4. In this case, as it appears from the documents, the petitioner was suspended on 14.08.2007 and the charge sheet was issued by the Government to him on 12.11.2007. Therefore, the charge sheet has been issued in time and no challenge

(54)

can be made on this ground. As far as the grounds pertaining to the allegations in the charges are concerned those grounds are based on factual aspects of the matter and that cannot be enquired into by a writ court, which is absolutely a duty of the enquiring authority or the competent authority in this regard.

5. In the matter of *Upendra Singh (supra)*, the Supreme Court has held vide para 6 that in the cases of charges framed in a disciplinary enquiry, the tribunal or court can interfere only if on the charges framed (read with imputation or particulars of the charges, if any) no misconduct or other irregularities alleged can be said to have been made out or the charges framed are contrary to any law. At this stage, this Court has no jurisdiction to go into the correctness or truth of the charges. This court cannot takeover the functions of the disciplinary authority. The truth or otherwise of the charges is a matter for the disciplinary authority to go into. Indeed, even after the conclusion of the disciplinary proceedings, if the matter comes to court or tribunal, they have no jurisdiction to look into the truth of the charges or into the correctness of the findings recorded by the disciplinary authority or the appellate authority, as the case may be.

6. Admittedly, as stated above, the factual aspects of the matter is involved in this case and this Court cannot go into the merits of the charges framed against the petitioner, at this stage, particularly with reference to their veracity and genuineness.

7. For the foregoing discussions, I do not find any reason to interfere with the charge sheet served upon the petitioner, at this stage.

8. The petition deserves to be and is accordingly dismissed at the motion stage itself.

Sd/-
Satish K. Agnihotri
Judge

Amit